

(82)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 3175-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 15.07.2016 पारित द्वारा
अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 156 / निगरानी / 2005-06

किशनलाल आयु वयस्क पुत्र कमरलाल
निवासी मोहल्ला पीरजादपुरा, सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

1. भगवती बाई पुत्री कल्लू पत्नी भोलाराम
मोहल्ला पीरजादपुरा, सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)
2. उमर खां वयस्क पुत्र मो. हनीफ खां
निवासी पालीवाल कॉलोनी सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)
3. कमर खां वयस्क पुत्र मो. हनीफ खां
4. कदीर खां वयस्क पुत्र मो. हनीफ खां
5. फरीद खां वयस्क पुत्र मो. हनीफ खां
6. हुसैन खां वयस्क पुत्र मो. हनीफ खां
7. अनवर खां वयस्क पुत्र मो. हनीफ खां
8. आशमा बी वयस्क पुत्री मो. हनीफ खां
9. सलमा बी वयस्क पुत्री मो. हनीफ खां
10. हुस्ना बी वयस्क पुत्री मो. हनीफ खां
11. अजमा बी वयस्क पुत्री मो. हनीफ खां
03 लगायत 11 तक निवासी मानपुर भोपाल
12. रामबाई पुत्री कल्लू पत्नी तोरन वयस्क
निवासी ग्राम दीपनखेड़ा तह0 सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)
13. प्रकाश पुत्र रामप्रसाद कुशवाह वयस्क

- निवासी मोहल्ला टौरी तह0 सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)
14. लालाराम पुत्र रामप्रसाद कुशवाह वयस्क
निवासी मोहल्ला टौरी तह0 सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)
15. शीलाबाई पुत्री रामप्रसाद वयस्क
निवासी मोहल्ला टौरी तह0 सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)
16. अजबबाई पुत्री रामप्रसाद कुशवाह वयस्क
निवासी ग्राम करोंद तह. बासौदा
जिला विदिशा (म.प्र.)
17. बबलबाई पुत्री रामप्रसाद कुशवाह वयस्क
निवासी ग्राम परायरी पोस्ट बरवाई तह0 कुरवाई
जिला विदिशा (म.प्र.)
18. गीताबाई पुत्री रामप्रसाद कुशवाह वयस्क
निवासी ग्राम करैरा पो0 बिछिया तह. श्मशाबाद
जिला विदिशा (म.प्र.)
19. ममता बाई पुत्री रामप्रसाद कुशवाह वयस्क
निवासी ग्राम संगोल वर्दी पो0 सांगोल तह. श्मशाबाद
जिला विदिशा (म.प्र.)
20. कैलाश पिता रमेश पुत्र रामप्रसाद कुशवाह वयस्क
21. बबलू पिता रमेश पुत्र रामप्रसाद कुशवाह वयस्क
22. सविता पुत्री रमेश पुत्र रामप्रसाद कुशवाह वयस्क
23. कामता बाई पुत्री रमेश पुत्र रामप्रसाद कुशवाह वयस्क
क. 20 से 23 निवासीगण मोहल्ला टौरी तह0 सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)
24. देवीलाल पुत्र केशर बाई-सुंदरलाल, वयस्क
25. लक्ष्मण पुत्र केशर बाई-सुंदरलाल, वयस्क
26. पप्पू पुत्र केशर बाई-सुंदरलाल, वयस्क
क. 24 से 26 निवासीगण ग्राम फुफेर तह0 नटेरन
जिला विदिशा (म.प्र.)
27. हरी बाई पुत्री केशर बाई सुंदरलाल
पत्नी बैजनाथ आयु वयस्क

निवासी – ग्राम मूँडरी, तह0 नटेरन

जिला विदिशा

28. दुर्गा प्रसाद कुशवाह पिता नामालूम, वयस्क
29. कु. सविता पुत्री दुर्गा प्रसाद, वयस्क
30. कु. कुसुम पुत्री दुर्गा प्रसाद, वयस्क
31. ऋतिक पुत्र दुर्गा प्रसाद, वयस्क
32. सचिन पुत्र दुर्गा प्रसाद, वयस्क
33. मोनिका पुत्री दुर्गा प्रसाद, वयस्क
क. 28 लगायत 33, निवासी ममूडरी रोड,
नईबस्ती, नटेरन जिला विदिशा
34. दयाचंद पुत्र किशनलाल, वयस्क
निवासी मोहल्ला पीरजादपुरा, तह0 सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0
35. हुकुमचन्द पुत्र किशनलाल, आयु वयस्क
पीरजादपुरा, तह0 सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0
36. मुन्नीबाई पुत्री किशनलाल, आयु वयस्क
पत्नी तोरन सिंह निवासी ग्राम विशेपुर,
तह0 सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0
37. बूंदाबाई पुत्री किशनलाल पत्नी चंदन सिंह, वयस्क
निवासी ग्राम करैया (बिछिया के पास)
तह0 नटेरन जिला विदिशा म0प्र0
38. अरुण कुमार पुत्र देवकरण चौरे, वयस्क
निवासी मोहल्ला पीरजादपुरा
तह0 सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0
39. ज्ञानचंद पुत्र मोतीलाल जैन, वयस्क
निवासी मोहल्ला पीरजादपुरा
तह0 सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0
40. जवाहरलाल पिता कोमल प्रसाद, वयस्क
41. हीरालाल पिता कोमल प्रसाद वयस्क
42. कमलेश बाबू पिता खिलान सिंह वयस्क
43. पुखराज नाबालिंग, पुत्र कमरलाल
द्वारा संरक्षक पिता कमरलाल आत्मज कोमल प्रसाद
44. मोहम्मद मियां पिता मुन्दू खां, वयस्क

- क. 40 से 44 तक निवासी मोहल्ला पीरजादपुरा
तह0 सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0
45. राबिया बी नाबालिंग पुत्री साबिर खां
द्वारा संरक्षक चाचा मोहम्मद मियां पिता मुन्दू खां
निवासी तह0 सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0
46. सबिया बी नाबालिंग पुत्री साबिर खां
द्वारा संरक्षक चाचा मोहम्मद मियां पिता मुन्दू खां
निवासी तह0 सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0
47. तौफीक मियां पिता अब्दुर गफ्फार खां, वयस्क
निवासी मोहल्ला दरीवालान सिरोंज, जिला विदिशाअनावेदकगण
-

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री टी.एस. अहिरवार
अनावेदक एकपक्षीय है।

आदेश
(आज दिनांक १७/१/१६ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 156/निगरानी/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नामांतरण पंजी क. 84 आदेश दिनांक 01.10.93 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.06.2001 को अपील पेश की जो समयावधि वाहय होने से निरस्त कर दी गई। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उन्होंने अपने आदेश दिनांक 15.07.2016 द्वारा अस्वीकार की है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

- 3/ प्रकरण में आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है।
- 4/ अनावेदक प्रकरण में एक पक्षीय हैं।
- 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 8 वर्ष से अधिक समय उपरांत पेश की गई जिसे उन्होंने समयावधि बाह्य मानकर निरस्त किया गया। अपर आयुक्त ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक ने 8 वर्ष के दीर्घकालिक विलंब के संबंध में दिन प्रतिदिन के समाधानकारक कारण स्पष्ट नहीं किए हैं और ना ही वह अपने अधिकारों के प्रति सजग रहा है। अतः उनके द्वारा आवेदक द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों को प्रकरण में लागू न होना मानते हुए अपील को निरस्त किया है। उनका यह निष्कर्ष भी उचित है जो व्यक्ति अपने स्वत्वों के प्रति सजग नहीं रहा हो ऐसे व्यक्ति को धारा 5 के प्रावधानों के तहत कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

परिणामतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है एवं यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
गवालियर